

अंतर-सेवा संगठन अधिनियम

प्रलिस के लिये:

[अंतर-सेवा संगठन \(ISO\) \(कमांड, नयितरण और अनुशासन\) अधिनियम, सेना अधिनियम, 1950, चीफ ऑफ डफिस सटाफ \(CDS\)](#)

मेन्स के लिये:

अंतर-सेवा संगठन (ISO) अधिनियम की मुख्य वशिषताएँ, सशस्त्र बलों के एकीकरण का महत्त्व

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने [अंतर-सेवा संगठन \(कमान, नयितरण और अनुशासन\) अधिनियम](#) को अधिसूचित किया है, जो [अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ](#) या [ऑफिसर-इन-कमांड](#) को सेना की सभी शाखाओं के कर्मियों का प्रबंधन करने, संचालन को सुव्यवस्थित करने तथा सहयोग को बढ़ावा देने का अधिकार देता है।

अंतर-सेवा संगठन {Inter-Services Organisations (Command, Control, and Discipline) Act - ISO} अधिनियम की मुख्य वशिषताएँ क्या हैं?

■ पृष्ठभूमि:

- वर्तमान में [सशस्त्र बल सेना अधिनियम, 1950](#), [नौसेना अधिनियम, 1957](#) और [वायु सेना अधिनियम, 1950](#) जैसे वशिषिट सेवा अधिनियमों के तहत कार्य करते हैं।
 - हालाँकि, इन कृत्यों की [वविधि प्रकृति](#) कभी-कभी अंतर-सेवा प्रतष्ठानों में समान अनुशासन, समन्वय और त्वरति कार्यवाही बनाए रखने में चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं।
- [ISO अधिनियम](#) मौजूदा सेवा अधिनियमों, नयिमों या वनियमों में किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता है।

■ अधिनियम की वशिषताएँ:

- [ISO नेतृत्व को सशक्त बनाना:](#)
 - यह अधिनियम ISO के कमांडर-इन-चीफ और ऑफिसर-इन-कमांड को उनकी वशिषिट शाखा (सेना, नौसेना, वायु सेना) की परवाह कथि बना, उनकी कमान के तहत सेवा कर्मियों पर [अनुशासनात्मक एवं प्रशासनिक नयितरण](#) रखने का अधिकार देता है।
 - यह [कमांड संरचना को सरल](#) बनाता है और ISO के भीतर कुशल नरिणय लेना सुनश्चित करता है।
- [ISO का गठन और वर्गीकरण:](#)
 - [अंडमान और नकिोबार कमान, रक्षा अंतरकिष एजेंसी](#) और [राष्ट्रीय रक्षा अकादमी](#) जैसे मौजूदा ISO को अधिनियम के तहत औपचारिक रूप से मान्यता दी जाएगी।
 - केंद्र सरकार एक [अंतर-सेवा संगठन](#) का गठन कर सकती है जिसमें तीन सेवाओं: सेना, नौसेना और वायु सेना में [सेकम-से-कम दो](#) से संबंधित कर्मचारी हों।
 - ISO को एक [ऑफिसर-इन-कमांड](#) के अधीन रखा जाएगा।
 - एक [संयुक्त सेवा कमान \(त्रि-सेवा\)](#) भी बनाई जा सकती है, जिससे [कमांडर-इन-चीफ](#) की कमान के तहत रखा जाएगा।
- [प्रयोज्यता और अहर्ताएँ:](#)
 - इसे सेना, नौसेना और वायु सेना से अतरिकित [अन्य केंद्रीय नयितरति बलों तक बढ़ाया जा सकता है](#)।
 - यह [कमांडर-इन-चीफ](#) और [ऑफिसर-इन-कमांड](#) के लिये [पात्रता मानदंडों](#) को नरिधारति करता है, जिसमें प्रत्येक सेवा के उच्च पदस्थ अधिकारियों को नरिदषिट किया जाता है।
- [नयितरण और कमांडिंग ऑफिसर:](#)
 - [केंद्र सरकार ISO पर अंतिम अधिकार रखती है](#) तथा राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रशासन और सार्वजनिक हति से संबंधित नरिदेश जारी कर सकती है।

- यह ISO के अंतर्गत एक वशिष्ट इकाई, जहाज़ या प्रतिष्ठान के लिये ज़िम्मेदार [कमांडिंग ऑफिसर पद](#) की स्थापना करता है।
- वे उच्च नेतृत्व द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेंगे और उनके पास अपने आदेश के तहत कर्मियों के संबंध में अनुशासनात्मक या प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार होगा।

नोट:

- [भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह](#) में पोर्ट ब्लेयर से संबंधित, [संयुक्त कमांड](#) भारतीय सशस्त्र बलों की पहली [त्रि-सेवा थ्रिटर कमांड](#) है।
 - भारतीय सशस्त्र बलों के पास वर्तमान में कुल 17 कमांड हैं। थल सेना और वायु सेना की 7-7 कमांड हैं। नौसेना के पास केवल 3 कमांड हैं।
 - प्रत्येक कमांड का नेतृत्व एक 4-स्टार रैंक वाला सैन्य अधिकारी करता है।
- [सशस्त्र बलों का थ्रिटराइज़ेशन](#):
 - यह एक [वशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र](#) के लिये एकल एकीकृत कमांड संरचना के तहत सेना, वायु सेना और नौसेना का एकीकरण है।
 - इसके तहत उस क्षेत्र में तीनों सेनाओं की सभी संपत्तियों और संसाधनों को एक ही कमांडर के अधीन रखा जाता है जो सभी सैन्य अभियानों की योजना बनाने तथा उन्हें नष्टपादित करने के लिये ज़िम्मेदार होता है।

सशस्त्र बलों के एकीकरण का क्या महत्त्व है?

- [संवर्धित परिचालन प्रभावशीलता](#):
 - संयुक्त योजना और प्रशिक्षण सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय और समझ को बढ़ावा देते हैं, जो आधुनिक युद्ध के लिये महत्त्वपूर्ण है।
 - उदाहरण के लिये: [अंतर-सेवा संगठन \(Inter-Service Organisations- ISO\) अधिनियम](#), 2024 ISO के नेतृत्व को एकीकृत कमांड नष्टपादित करने का अधिकार देता है।
- [त्वरति नरिणय लेना](#):
 - एकीकृत इकाइयों के भीतर सुव्यवस्थित [कमांड संरचनाएँ](#) युद्ध के मैदान पर त्वरति नरिणय लेने की अनुमति देती हैं।
 - वर्ष 2019 में स्थापित [चीफ ऑफ डेफेंस स्टाफ \(CDS\)](#) सरकार का एकल-बटु सैन्य सलाहकार है, जो रक्षा योजना और खरीद में बेहतर समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।
- [इष्टतम संसाधन उपयोग](#):
 - यह एकीकरण [प्रयासों के दोहराव को कम करता है](#) और सभी सेवाओं में संसाधन आवंटन को अनुकूलित करता है।
 - एकीकृत थ्रिटर कमांड के निर्माण का उद्देश्य [सुव्यवस्थित योजना](#), [लॉजिस्टिक्स और संचालन](#) सुनिश्चित करना है।

सशस्त्र बलों के एकीकरण के संबंध में सरकार की पहल:

- [अंतर-सेवा संगठन \(Inter-Services Organisations- ISOs\) अधिनियम, 2024](#)
- [चीफ ऑफ डेफेंस स्टाफ \(Chief of Defence Staff- CDS\)](#)
- [इंटीग्रेटेड थ्रिटर कमांड](#) का वचिार

नष्टिकर्ष:

भारतीय सशस्त्र बलों के एकीकरण की प्रक्रिया एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण रही है और इस संदर्भ में किये गए अब तक के प्रयास सही दिशा में प्रतीत होते हैं। साथ ही चीन की [इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स](#), [साइबरस्पेस फोर्स](#) या [संयुक्त राज्य अमेरिका की साइबरस्पेस फोर्स](#) के समान आधुनिक युद्ध प्रणालियों को शामिल करने से आधुनिक युद्ध आवश्यकताओं तथा चुनौतियों के अनुकूल बनने में भारत की रक्षा-संबंधी क्षमताओं में वृद्धि हो सकती है।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. अंतर-सेवा संगठन (Inter-Services Organisations -ISOs) अधिनियम की प्रमुख वशिष्टताओं पर चर्चा कीजिये। सशस्त्र बलों के एकीकरण से संबंधित महत्त्व और चुनौतियों क्या हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धिका कहाँ उल्लेख है? (2014)

(a) संविधान की उद्देशिका में

- (b) राज्य की नीति के नदिशक तत्त्वों में
- (c) मूल कर्त्तव्यों में
- (d) नौवीं अनुसूची में

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. "बहुधार्मिक व बहुजातीय समाज के रूप में भारत की वविधि प्रकृति, पड़ोस में दखि रहे अतविद के संघात के प्रतनिरिपद नहीं है।" ऐसे वातावरण के प्रतिकार के लयि अपनाई जाने वाली रणनीतियों के साथ वविचना कीजयि। [2014]

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/inter-services-organisations-act>

